GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD
AYUDH BHAVAN
10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
KOLKATA-700 001

OFB

TEL : (033) 22485077-80 | FAX:(033) 22487822

No. 288/RR/SRO/SR.DEO-PHOT-COOK/PER/NI **Date : 16 -10-2017**

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Senior Data Entry Operator, Photographer and Cook in Ordnance and Ordnance Equipment factories and other offices and establishments in Ordnance Factories organisation.

*****

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of S.R.O 21 dated 23rd March, 2017 for the post of Senior Data Entry Operator, Photographer and Cook in supersession of earlier SRO related to the above posts, in Ordnance and Ordnance Equipment factories and other offices and establishments for favour of necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.- S.R.O 21 dated 23.03.2017

[Dr.(Smt.) Vani A.Singh]
Director / A&NI
For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-

1. Chairman 's Sectt., OFB Kolkata.
2. All Members, OFB Kolkata.
3. The Addl. DGOF/AV HQrs, Avadi.
4. The Addl. DGOF/OEF HQrs, Kanpur.
5. Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6. Principal Director/OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
7. Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata.
8. Section : Per/NG, Per/Policy, Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2017, शनिवार/ चैत्र 5—चैत्र 11, 1939

No. 9] NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2017, SATURDAY/ CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ-** 1.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

   2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (प्रशासनिक सहायक 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में,-

   (i) नियम 2 में, "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द जहां भी वे विद्यमान हों, के स्थान पर क्रमश: "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

   (ii) अनुसूची में ;-

   (क) स्तम्भ (4) के अधीन, शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा।, अर्थात

   "वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ii) for item (iii), the following item shall be substituted, namely :-

(iii) "5 percent of the vacancies shall be filled up by promotion on seniority–cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the posts in level 1 (Rs 18000-56900) in the pay matrix.";

(c) in column (4), relating to the post of Stenographer Grade-II, for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

" Level 4 in the Pay Matrix (Rs 25500-81100)".

[F. No. 2523/RR(Gp'C')/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, part II, Section 4, dated 30th Nov, 2013 vide notification number S.R.O. 77 dated 28 Oct 2013.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.नि.आ. 21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आयुध निर्माणी वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया समूह "ग" अनौद्योगिक पद (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय स्थापना को छोड़कर आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियों तथा आयुध निर्माणी संगठन के अंतर्गत अन्य कार्यालयों एवं स्थापनाओं में वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों को भारतीय आयुध निर्माणियां, वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर, फोटोग्राफर एवं रसोइया (समूह "ग" अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2017 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **लागू होना.—**ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम(1) में विनिर्दिष्ट पदों हेतु लागू होंगे।

3. **पद संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हता.—**वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विषय ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके वह इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

सारणी

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. वरिष्ठ डाटा एंट्री आपरेटर	146* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स, स्तर 5 (रु.29200-92300/-)	अचयन

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित आयु और अन्य अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है-	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11.	12.	13.
प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (रु. 25,500-81,100/-) में डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **नोट :** जहां उन कनिष्ठों पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है जिन्होंने अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है,वहां उनके उनके वरिष्ठों की प्रोन्नति के लिए भी विचार किया जाना चाहिए बशर्ते वे वांछित अर्हता अथवा पात्रता सेवा में उसके आधे से भी अधिक या 2 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, जितनी कमी न रखते हों और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा को पहले ही पूरा कर लिया है, सफलतापूर्वक अपनी परीवीक्षाधीन अवधि पूरी कर चुके हों ।	समूह 'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः- 1. महाप्रबंधक या अपर महाप्रबंधक – अध्यक्ष 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक - सदस्य 3. उप महाप्रबंधक या कार्यप्रबंधक - सदस्य (उन अधिकारी को छोड़कर जो प्रशासकीय रूप से संबंधित हो)	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5
2. फोटोग्राफर	36* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	वे मैट्रिक्स में स्तर 2 (रु.19900-63200)	लागू नहीं होता

6.	7.	8.	9	10
18 से 27 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक विभागीय सेवकों के लिए छूट) **नोट** : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के उम्मीदवारों के लिए विहित की गई है)।	मैट्रिक या समतुल्य मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा सहित तथा फोटोग्राफी में दो वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13.
लागू नहीं होता	समूह "ग"विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल रहेंगे- 1.अपर महाप्रबंधक – अध्यक्ष 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक – सदस्य 3. उप महाप्रबंधक या कार्य प्रबंधक (उन अधिकारी को छोड़कर जो प्रशासकीय रूप से संबंधित हो) – सदस्य	लागू नहीं होता।

1.	2.	3.	4.	5.
3. रसोइया	200* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर 2 (रु.19900-63200/-)	लागू नहीं होता

6.	7.	8.	9.	10.
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक विभागीय सेवकों के लिए छूट) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास। (2) उसे खाना बनाने का ज्ञान होना चाहिए (3) उसके पास किसी परीक्षण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अस्पताल भोजन का ज्ञान होना चाहिए (अस्पताल से संलग्न रसोइए के लिए)	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11.	12.	13.
लागू नहीं होता	समूह "ग"विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल रहेंगे 1. अपर महाप्रबंधक – अध्यक्ष 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक – सदस्य 3. कार्य प्रबंधक (उन अधिकारी को छोड़कर जो प्रशासकीय रूप से संबंधित हो) – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 41(5)/2010/डी(स्था./एन जी)]

अम्लान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd March, 2017.

S.R.O. 21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Ordnance Factories, Senior Data Entry Operator, Photographer and Cook Group 'C' Non-Industrial Posts (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Data Entry Operator, Photographer and Cook in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordnance Factories Organisation, except the Ordnance Factory Board Head Quarter Establishment, namely :-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Indian Ordnance Factories, Senior Data Entry Operator, Photographer and Cook (Group 'C' Non-Industrial posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, their classification and the level in the pay matrix**.- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns(5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. - No person, –**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that the marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior Data Entry Operator	146* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300/-)	Non -selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion Data Entry operator in Level-4 of pay matrix (Rs.25500-81100/-) with five years regular service in the grade. **Note:-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :– (1) General Manager or Additional General Manager – Chairperson; (2) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member;	Not applicable.

requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(3) Deputy General Manager or Works Manager (other than an officer administratively concerned with) – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Photographer	36* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-)	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Departmental candidates up to forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Matriculation or equivalent with diploma in Photography from a recognised Board or Institute with two years experience in photography	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - (1) Additional General Manager – Chairperson; (2) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member; (3) Deputy General Manager or Works Manager (other than an officer administratively concerned with) – Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Cook	200* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or institute. (ii) Must possess knowledge of cooking. (iii) Must possess knowledge of hospital diets approved by a testing board (for cooks attached to hospitals).	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - (1) Additional General Manager – Chairperson; (2) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member; (3) Works Manager (other than an officer administratively concerned with) –Member.	Not applicable.

[F.No. 41(5)/2010/D(Estt./NG)]

AMLAN DAS, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.06 15:43:01 +05'30'